(31)

संख्या– 598 / VI-2 / 2011–71(10)2011

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 03 अगस्त जुलाई, 2011

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों हेतु अभिलेखीय सुरक्षाकोषों, शासकीय पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों आदि को सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–696/सं0नि0उ0/दो–3/2011–12 दिनांक 14 जून, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त केन्द्रीय योजनान्तर्गत राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड, देहरादून को ऐतिहासिक अभिलेखों व पाण्डुलिपियों के माइक्रोफिल्मिंग कार्य एवं मरम्मत सामग्री क्रय हेतु कुल ₹4.00 लाख जिसमें से, ₹1.50 लाख (₹ एक लाख पच्चास हजार) मात्र की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से, आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि, मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

3– धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय। धनराशि का आहरण/व्यय लम्बित बीजकों के नियमानुसार पुष्टि एवं कालातीत बीजकों के सम्बन्ध में नियमानुसार यथा

...(2)

अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण होने पर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

4– उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

5– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। सामग्री क्रय के संदर्भ में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6– उक्त धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0102– अभिलेखीय सुरक्षा कोषों, पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों हेतु सहायता–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के कॉलम–1 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–120(P)/XXVII(3)/2011–12 दिनांक 27 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 598/**VI-2/2011–71(10)2011 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

आय–व्ययक प्रपत्र–15
पुनर्विनियोग 2011–12
प्रशासनिक विभाग– संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन

नियंत्रक अधिकारी– निदेशक, संस्कृति निदेशालय।
संख्या–

देहरादून दिनांक 03 जून 20
(धनराशि हजार

आयोजनागत

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधि व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 102– कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0103–क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के उन्नयसन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता 20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 1000	—	850	150	अनुदान संख्या–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 102– कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 01– केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0102– अभिलेखीय सुरक्षा कोषों, पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों हेतु सहायता 20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 150	400	850	राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड, देहरा ऐतिहासिक दस्तावेजों, हस्तलिपियों एवं पुस्तकों की माइक्रोफिल्मिंग तथा मरम्मत साम क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में केन्द्र प्रतिशत) के अन्तर्गत अनुदान स्वरूप ₹ 3.. मात्र धनराशि आवंटित की गयी थी उक्त ध राज्यांश (25 प्रतिशत) के रूप में ₹ 1.0.. धनराशि वहन की जानी थी। राष्ट्रीय अभिले भारत सरकार नई दिल्ली के संख्या–31–2(35)/2007–अनुदान दिनांक 2011 द्वारा वित्तीय सहायता के अन्तर्ग 2007–08 में प्राप्त धनराशि का चालू वित्ती 2011–12 में उपयोग किये जाने की स्वीकृ इस के फलस्वरूप 0102–अभिलेखीय सुरक्षा पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों हेतु [illegible]
1000		850	[illegible]	[illegible]	[illegible]	850	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग में बजट मैनुअल के पैराग्राफ 150, 155 [illegible]